संख्या-30/2023/I/339495/2023/001-71-4099-1088-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,
नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 27 जून, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0सी0एच0,नोएडा/निदे0/194/2023, दिनांक-07.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के लेखाशीर्षक 4210-03-105-70 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 1500.00 लाख के सापेक्ष रू० 1500.00 लाख की संकलित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के लेखाशीर्षक 4210-03-105-70 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 1500.00 लाख के सापेक्ष रू० 1500.00 लाख की संकलित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए की प्राविधानित धनराशि रू० 1500.00 लाख के सापेक्ष रू० 1500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही व्यय कर लिया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-17.03.2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
5. उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थासन/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
7. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
8. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।
10. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
11. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
12. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियां न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों का यथासम्भव समावेश किया जाए।
13. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. क्रय किये जाने वाले उपकरण संस्थान की विभागवार अति आवश्यकता एवं एन०एम० सी०/एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।
15. धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
16. क्रय किये जा रहे उपकरणों के आडिट का उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
17. संस्थान द्वारा उपकरण रु० 01-10 लाख तक तथा रु० 10-50 लाख तक के हैं, को चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-3229/71-2-2015-जी०एन०-1/2015 दिनांक-07.12.2015 द्वारा संस्थान स्तर पर गठित क्रय समिति तथा रु० 50 लाख से अधिक के क्रय हेतु उच्च स्तरीय क्रय समिति (HLPC) के माध्येम से क्रय किये जाने कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
18. उपकरणों को सुसंगत नियमों के तहत गुणवत्ता के साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए युक्ति संगत दरों पर क्रय किया जाय तथा उपकरणों का Specification गुणवत्ता/आवश्यकता/उपयोगिता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ तथा संस्थान के निदेशक एवं वित्त अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057000 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक:यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. कोषाधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सा एवं स्ना,तकोत्त।र शैक्षणिक संस्थाअन, नोएडा ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. नोडल अधिकारी/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-30/2023/339495/2023/001-71-4099-1088-2021 दिनांक-27.06.2023 का संलग्नक।

उपकरणों की सूची

Sl. No.	Department	Equipment Name	Qty.	Approx. cost per unit	Approx. cost Total
1.	Cardiology	Cardiac Cash lab (turnkey Project)	01	7,00,00,000.00	7,00,00,000.00
2.		Non Invasive Cardiac Chuti Monitoring System (Proprietary item)	01	20,00,000.00	20,00,000.00
3.		2 D Echocardiography System	01	1,03,00,000.00	1,03,00,000.00
4.		Computerised Stress Test system (TMT)	01	22,00,000.00	22,00,000.00
5.		12 LEAD ECG MACHINE	02	2,50,000.00	5,00,000.00
6.	Ophthalmology	Handheld Autokeratorefractometer	01	10,00,000.00	10,00,000.00
7.		ND Yag Laser	01	32,00,000.00	32,00,000.00
8.		Low vision Aid devices	01 set	8,50,000.00	8,50,000.00
9.	Gastro	Ambulatory 24 Hour pH Monitor & Impedance Recorder	01	8,00,000.00	8,00,000.00
10.		Multi para monitor	05	3,00,000.00	15,00,000.00
11.		Duodenovideoscope (side viewing scope)	01	24,00,000.00	24,00,000.00
12.		Videoprocessor for Duodenoscope	01	35,00,000.00	35,00,000.00
13.	Paediatric Surgery	Cysto-urethroscope set	01 set	20,00,000.00	20,00,000.00
14.		Laproscopic trocars and telescopes	01 set	18,00,000.00	18,00,000.00
15		OT Table	01	20,00,000.00	20,00,000.00
16.		Laparoscopic instrument set	01 set	18,00,000.00	18,00,000.00
17.	Radiology	Portable color Doppler ultrasound unit	01	50,00,000.00	50,00,000.00
18.	Neonatology	Neonatal T Piece Resuscitator	01	4,00,000.00	4,00,000.00
19.	Cardiac Surgery	Temporary dual chamber pacemaker	02	3,50,000.00	7,00,000.00
20.		Hand instruments for	01	45,00,000.00	45,00,000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		minimally invasive cardiac surgery	set		
21.	Anaesthesia	Videolaryngoscope with 3 blades	01	25,00,000.00	25,00,000.00
22.		Fiberless intubating bronchoscope- size 5.5 compatible with existing system	01	22,50,000.00	22,50,000.00
23.		Near infrared spectrometer	01	31,00,000.00	31,00,000.00
24.		Portable color Doppler ultrasound unit	01	50,00,000.00	50,00,000.00
25.	Transfusion Medicine	Protable Blood donor couch	04	1,50,000.00	6,00,000.00
26.		Portable Blood collection monitor	04	1,50,000.00	6,00,000.00
27.	ENT	Otological Surgery instruments	01 set	20,00,000.00	20,00,000.00
28.		Endoscopic Surgery instruments	01 set	25,00,000.00	25,00,000.00
29.		High-Definition Camera system	01	45,00,000.00	45,00,000.00
30.	PHO	Biosafety Cabinet Class 2 B2	01	15,00,000.00	15,00,000.00
31.	Orthopaedics	C Arm	01	20,00,000.00	20,00,000.00
32.		General Instrument set	04 set	10,00,000.00	40,00,000.00
33.		HIP preservation set	01 set	30,00,000.00	30,00,000.00
				Grand Total	**15,00,00,000.00**

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।